

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)  
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 107 / संचा.-वि.स. / 2026  
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 30/06/2026

- |                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. प्रबंध संचालक,<br>छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.<br>अटल नगर, नवा रायपुर | 2. प्रबंध संचालक,<br>अपेक्स बैंक,<br>अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग. |
| 3. प्रबंध संचालक,<br>छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,<br>अटल नगर, नवा रायपुर    | 4. समस्त कलेक्टर,<br>छत्तीसगढ़                                 |
| 5. महाप्रबंधक,<br>भारतीय खाद्य निगम,<br>रायपुर                                 |                                                                |

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 919 अतारांकित द्वारा श्री कंवासी लखमा, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 919 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 02.07.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

  
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.  
नवा रायपुर, दिनांक 30/06/2026

पृ.क्रमांक 108 / संचा.-वि.स. / 2026  
प्रतिलिपि :-

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5      सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026      विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : धान खरीदी हेतु लिए गए ऋण एवं ब्याज भुगतान।

( अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 919 )      श्रीकवासी लखमा

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खरीफ वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में 31, मार्च 2026 तक राज्य सरकार के द्वारा धान क्रय हेतु कितनी राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कितनी राशि अन्य योजनाओं से धान बेचने वाले किसानों को दी गई है? वर्षवार जानकारी दें? (ख) उक्त अवधि में केन्द्र सरकार के द्वारा किस-किस मद से (केन्द्रीय पूल व अन्य मद) कितना चावल लिया गया ? उक्त चावल के एवज में राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई? इसमें कितनी राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के लिए समायोजित की गई? वर्षवार जानकारी दें? (ग) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में धान खरीदने के लिए कितना-कितना ऋण लिया गया व कितना-कितना ब्याज पटाया गया व उक्त ऋण एवं ब्याज की राशि में से कितनी राशि केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदत्त किस मद की राशि से ऋण व ब्याज स्वरूप वापस की गई है?

उत्तर :

समस्त क्लेबटर  
माकिफेस / अपेक्स एग्री / नान